प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 04.04.2019

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

एन.जी.टी. के निर्देशों का पालन करने के लिए सभी जोन क्षेत्र के जोन आयुक्त को लिखा आयुक्त सुंदरानी ने पत्र

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम , भिलाई के आयुक्त एस 0के0 सुंदरानी ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम 2016 के परिपालन में कड़ाई से पालन करने हेतु समस्त जोन आयुक्त को निर्देशित किया है साथ ही की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था लेकिन जोन आयुक्तों के द्वारा कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।

श्री सुंदरानी द्वारा पुनः स्वास्थ्य अधिकारी , जोन आयुक्तों, स्वच्छता निरीक्षकों को माननीय एनजीटी द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के परिपालन में निम्नानुसार कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राज्य की नीति के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार करें, प्रत्येक घर से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन संग्रहण किया जाना है , अनौपचारिक कचरा बिनने वालों के संगठन को पहचाना और उन्हे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में एकीकृत करना , एस.एच.जी. का गठन, आई.डी. वितरण करना है।

जनसम्पर्क अधिकारी!

"जल है तो कल है" "जल ही जीवन है"

"वोट डालने जाना है- 23 अप्रैल को अपना फर्ज निभाना है"